



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1945 (श०)

(सं० पटना ८०४) पटना, बृहस्पतिवार, ५ अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2023

एस० ओ० 259, दिनांक 5 अक्टूबर, 2023--बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम-18, 2023)की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल-

(क) तारीख 1 अक्टूबर, 2023 को ,उस तारीख के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 से धारा 23 तक (धारा 14 से धारा 18 के सिवाय) के उपर्युक्त प्रवर्त्त होंगे;

(ख) तारीख 1 अगस्त, 2023 को ,उस तारीख के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 14 से धारा 18 के उपर्युक्त प्रवर्त्त होंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर /जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-16)3543)]

बिहार -राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

5 अक्तूबर, 2023

एस० ओ० 259, दिनांक 5 अक्तूबर, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/ जीएसटी/ विविध—21/2017(खंड—16) 3543)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 5th October 2023

S.O. 259, Date 5th October 2023- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023, the Governor of Bihar hereby appoints,—

(a) the 1st day of October, 2023, as the date on which the provisions of sections 02 to 23 (except sections 14 to 18) of the said Act shall come into force;

(b) the 1st day of August, 2023, as the date on which the provisions of sections 14 to 18 of the said Act shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-16) 3543)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 804-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>